



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27072026-274830
CG-MH-E-27072026-274830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 599]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 24 जुलाई, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20A के तहत

सा.का.नि. 661(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य में जिला अहमदाबाद में “सरखेज-धोलेरा-बवलियारी (109.16 किमी) और लोथल एनएचएमसी-धोलेरा हवाई अड्डे (20.40 किमी) के बीच स्पर लाइन के बीच नई बीजी डबल लाइन” परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् द्वितीय अतिरिक्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, प्रथमतः, आपदा प्रबंधन भवन, महसूल भवन, कलेक्टर ऑफिस, सुभाष ब्रिज सर्कल के पास, अहमदाबाद को लिखित रूप में किया और उसके आधार पर उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई

का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना के लिए संरचना सहित या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, अर्थात: गुजरात राज्य में अहमदाबाद ज़िले के अंतर्गत "सरखेज-धोलेरा-बावलियारी (109.16 किमी) के बीच नई BG डबल लाइन और लोथल NHMC-धोलेरा एयरपोर्ट (20.40 किमी) के लिए स्पर लाइन" परियोजना।

क्रम संख्या	तालुका	गाँव	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	कुल क्षेत्रफल ७/१२ के अनुसार (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (हे.आर.)
जिला : अहमदाबाद							
१	वेजलपुर	ओकाफ	३५५	निजी	गैरकृषि	०.८४६६	०.०१९६
२	वेजलपुर	ओकाफ	३३०	निजी	कृषि	०.६८८०	०.०३३७
३	वेजलपुर	ओकाफ	३२९	निजी	कृषि	०.४३५०	०.३०२८
कुल क्षेत्रफल						१.९६९६ (हे.आर.)	०.३५६१ (हे.आर.)

[फा. सं. ई. -761115]

कमलेश कुमार, मुख्य परियोजना प्रबंधक/सेमी हाई-स्पीड रेल

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railways)

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th July, 2026

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No. 11 of 2008)), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution of Special Railway Project, namely, “**New BG Double Line Between Sarkhej-Dholera-Bavaliyari (109.16KM) & Spur Line for Lothal NHMC-Dholera Airport (20.40 KM) IN THE DISTRICT OF AHMEDABAD**” in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquired such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (I) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Second Additional Special Land Acquisition Officer, First Floor, Disaster Management Building, Collector Office, Near. Subhash Bridge Circle, Ahmedabad, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:

”New BG Double Line Between Sarkhej-Dholera-Bavaliyari (109.16KM) & Spur Line for Lothal NHMC-Dholera Airport (20.40 KM) in the district of Ahmedabad”, Project in the state of Gujarat.

Sr. No.	Taluka	Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Total area as per 7/12 in (Ha.)	Area to be acquired (Ha.)
1	Vejalpur	Okaf	355	Private Land	Non-Agriculture	0.8466	0.0196
2	Vejalpur	Okaf	330	Private Land	Agriculture	0.6880	0.0337
3	Vejalpur	Okaf	329	Private Land	Agriculture	0.4350	0.3028
					Total	1.9696 (Ha)	0.3561 (Ha.)

[F. No. E. -761115]

KAMLESH KUMAR, Chief Project Manager/Semi High Speed Rail